

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2590] No. 2590] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 28, 2016 ∕कार्तिक 6, 1938 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 28, 2016/KARTIKA 6, 1938

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2016

- का.आ. 3341(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन हटाना आदेश, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-
- 1. (1) इस आदेश को विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन हटाना (संशोधन) आदेश, 2016 कहा जाएगा ।
 - (2) यह आदेश 29 अक्तूबर, 2016 को प्रवृत्त होगा।
- 2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्वंधन हटाना आदेश, 2016 के खंड 3 में, उप-खंड (2) के मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी; अर्थात:-
 - "(ii) चीनी के संबंध में 28 अप्रैल, 2017 की अवधि तक; "

[फा. सं. एस-10/5/2016-ईसीआरएंडई]

पी. वी. रामाशास्त्री, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 3, उप खंड-(i) में तारीख 29 सितंबर, 2016 को सा.का.िन. 929(अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था।

5055 GI/2016 (1)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

ORDER

New Delhi, the 27th October, 2016

S.O.3341(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, namely:—

- 1. (1) This Order may be called the Removal of Licensing requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2016.
 - (2) It shall come into force on the 29th day of October 2016.
- 2. In the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, in clause 3, in sub-clause (2), for item (ii), the following item shall be substituted, namely:-
 - "(ii) sugar, for a period up to 28th April, 2017;".

[F.No.S-10/5/2016-ECR&E]

P.V. RAMA SASTRY, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 929(E), dated the 29th September, 2016.